



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-13052026-272466
CG-CG-E-13052026-272466

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2301]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2026/वैशाख 21, 1948

No. 2301]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2026/VAISAKHA 21, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

नागपुर, 8 मई, 2026

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20(क) के अंतर्गत अधिसूचना

का.आ. 2393(अ).—केंद्र सरकार ने रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20(d) तथा उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और यह संतुष्टि होने पर कि संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि विशेष रेलवे परियोजना हेतु सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है, उक्त भूमि को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक घोषित किया है।

उक्त भूमि ग्राम बेलाटी खुर्द, तहसील तिरोडा, जिला गोंदिया में लेवल क्रॉसिंग संख्या 522, कि.मी. 1031/9-11 पर सीमित ऊँचाई वाले सबवे (Limited Height Subway) के निर्माण के लिए आवश्यक है।

केंद्र सरकार आगे यह घोषित करती है कि उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उक्त भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है। उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20(घ) की उपधारा (1) के अंतर्गत, उक्त भूमि के अधिग्रहण एवं उपयोग के संबंध में आपत्तियाँ दर्ज करा सकता है। प्रत्येक ऐसी आपत्ति लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तिरोडा, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। आपत्ति के कारण स्पष्ट रूप से लिखना

आवश्यक होगा तथा आपत्तिकर्ता को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। सभी आपत्तियों की सुनवाई एवं आवश्यक जांच के उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश के माध्यम से आपत्तियाँ स्वीकार या अस्वीकार की जा सकती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 20(घ) की उपधारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कोई भी आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना में सम्मिलित भूमि का नक्शा एवं अन्य विवरण सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे इच्छुक व्यक्ति देख सकते हैं।

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत ग्राम बेलाटी खुर्द, तहसील तिरोडा, जिला गोंदिया में लेवल क्रॉसिंग संख्या 522, कि.मी. 1031/9-11 पर सीमित ऊँचाई वाले सबवे के निर्माण हेतु:

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	गट संख्या	भोगवटादार वर्ग	गा. न. ७/१२ प्रमाणे कुल क्षेत्र (हे.-आर)	अधिग्रहित क्षेत्र (हे.-आर)
१	अजय गजानन कटरे व इतर -20	२१७/१	१	०.०७	०.०७
२	दिलीप भिकन कटरे	२१७/१/ड	१	०.०२	०.०२
३	दिलीपकुमार भिकन कटरे व अशोककुमार भिकन कटरे	२१७/१/क	१	०.०८	०.०२
४	श्रीमती पद्माबाई कुंजीलाल येळे व इतर -४	१३६/१/ब	१	०.७९	०.०१
			टोटल	०.९६	०.१२

[फा. सं. SECR/NAG/इंजीनियरिंग/राजपत्र/अधिसूचना/LC -522/02]

अवनीश कुमार पांडेय, प्रमुख मुख्य इंजीनियर

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Nagpur, the 8th May, 2026

Notification under Section 20(A) of the Railway Act, 1989

S.O. 2393(E).—In exercise of power conferred by sub-Section(1) of Section 20(A) of Railway Act, 1989 (24 of 1989)(hereinafter referred to as the said Act) the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of Special Railway Project namely “Construction of a Limited Height Subway (Road under bridge) in lieu of manned Level Crossing No. 522, Km. 1031/9-11, located in Village Belati Khurd, Tehsil- Tiroda, District Gondia on Tirora-Mundikota Section.

The Central Government further declares that the acquisition of the said land is necessary for the above purpose. Any person interested in the land may, within a period thirty days (30 days) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, file objections to the acquisition under Section 20(D), sub-section (1) of the Railway Act, 1989, regarding the acquisition and use of the said land.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, the Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Tiroda, District Gondia, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the Competent Authority think necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section(2) of section 20(D) of the said Act shall be final. The map and other details of the land included in this notification are available and can be inspected by interested person at the foresaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE-A

Brief Description of Land to be Acquired, for Special Railway Project namely “Construction of a Limited Height Subway (Road under bridge)at manned Level Crossing No. 522, Km. 1031/9–11, located in Village Belati Khurd, Tehsil- Tiroda, District Gondia on Tirora-Mundikota Section”

Sl	Name of the land Owner	Gat No	Occupant Class	Total Area As per 7/12(H.R)	Area to be acquired (H.R))
1	Ajay Gajanan Katre & Others (20)	217/1	1	0.07	0.07
2	Dilip Bhikan Katre	217/1/D	1	0.02	0.02
3	Dilipkumar Bhikan Katre & Ashokkumar Bhikan Katre	217/1/C	1	0.08	0.02
4	Smt. Padmabai Kunjilal Yele & Others (4)	136/1/B	1	0.79	0.01
	Total=			0.96	0.12

[F. No. No.SECR/NAG/Engineering/Gazette/Notification/LC-522/02]

AVNISH KUMAR PANDEY, Principal Chief Engineer